

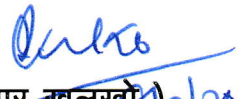


—: आदेश :—

रायपुर, दिनांक ०८/०९/२०२३

क्रमांक एफ १-४/२०२२/रास/यू-११ :: दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक २१ सन् २०११) (संशोधित अधिनियम, २०२०) की धारा-९(१) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपति, दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा Dr. Ram Ran Bijoy Singh, Retired Joint Director (Academic) cum Dean, ICAR - National Dairy Research Institute, Karnal को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग का कुलपति नियुक्त किया गया है।

२/ Dr. Ram Ran Bijoy Singh का कार्यकाल, उपलब्धियों तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम तथा परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होंगी।


(अमृत कुमार खलखो)
राज्यपाल के सचिव
छत्तीसगढ़

...निरंतर...

//2//

पृष्ठां. क्रमांक एफ 1-4/2022/रास/यू-11

रायपुर, दिनांक 08/09/2023

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
2. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
3. संभागायुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग ।
4. कुलपति, दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग ।
5. कुलसचिव, दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. Dr. Ram Ran Bijoy Singh, Retired Joint Director (Academic) cum Dean, ICAR - National Dairy Research Institute, karnal : 202, Muskan Mira Complex, Sri Krishna Puram, Gola Road, Danapur Nizamat, Patna (Bihar)-801 503.
7. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, रायपुर की ओर उक्त आदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 08.09.2023 में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रेषित ।
8. संयुक्त संचालक, जनम्पर्क शाखा, राजभवन, रायपुर।
की ओर सूचनार्थ ।

राज्यपाल के सचिव
छत्तीसगढ़


09/09/2023